(12)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

रामक्ष : मनोज गोयल,

प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2213–पीबीआर/2011, विरूद्ध आदेश दिनांक 14–11–2011 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार सुवासरा जिला–मंदसौर द्वारा प्रकरण कमांक 03/अ–6–अ/2010–11

1– शिवलाल पिता बगदीराम बागरी,
2– महादेव पिता बगदीराम बागरी,
3– पारीबाई विधवा बिगदीराम बागरी,
निवासीगण ग्राम देवरिया विजय,
तहसील सुवाअरा, जिला–मन्दसौर

विरूद्ध ..... आवेदकगण

1– मध्यप्रदेश शासन,
2– मोहनलाल पिता शंकरलाल बागरी ,
3– प्रभुलाल पिता शंकरलाल बागरी,
4– राधु पिता शंकरलाल बागरी,
समस्त निवासी–ग्राम देवरिया विजय, तहसील सुवासरा,
जिला–मन्दसौर

..... अनावेदकगण

.....

श्री दिनेश व्यास, अभिभाषक, आवेदकगण

अनावेदकगण एकपक्षीय

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/2/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार सुवासरा जिला–मन्दसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–11–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक शिवलाल पिता बगदीराम निवासी देवरिया द्वारा एक आवेदन पत्र तहसीलदार सुवासरा के न्यायालय मे इस आशय का आवेदन पेश किया गया कि ग्राम देवरिया विजय में आवेदक के नाम से खाते की भूमि है । उक्त भूमि में पटवारी ने जालसाजी अनावेदक के नाम इन्द्राज कर दिये थे । पटवारी से नकल प्राप्त करने पर इस तथ्य की जानकारी हुई । तहसीलदार सुवासरा द्वारा उक्त आवेदन की जांच किये जाने के बाद दिनांक 06–03–09 को आदेश पारित कर उक्त आवेदन निरस्त कर दिया गया । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–03–09 से दुखी होकर आवेदक द्वारा अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड सीतामऊ के समक्ष पेश की गई । न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सीतामऊ द्वारा प्रकरण क्रमांक 32/अपील/2008–09 पंजीबद्ध किया जाकर, तहसीलदार सुवासरा के आदेश को स्थिर रखा गया एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त कर दिया गया । न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सीतामऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–09–2009 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष अपील प्रस्तुत किया गया जो प्रकरण क्रं0 17/2009–10/ अपील दर्ज होकर दिनांक 21–05–2010 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण पत्यावर्तित किया गया । न्यायालय अपर आयुक्त के उक्त आदेश दिनांक 21–05–2010 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा सिविल न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। सिविल न्यायालय ने प्रकरण में स्थगन आदेश पारित किया । सिविल

न्यायालय द्वारा पारित स्थंगन आदेश पर तहसीलदार सुवासरा के समक्ष प्रकरण क्रमांक 3 / अ–6 / 2010–11 पंजीबद्ध किया जाकर पारित आदेश दिनांक 14–11–2011 से सिविल न्यायालय के अंतर्गत आवेदन निरस्त किया गया । न्यायालय तहसीलदार सुवासरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–11–2011 से दुखी होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3 / आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की वस्तुस्थिति को देखे व समझे बगैर उसके विपरीत निष्कर्ष निकाल कर आदेश पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–05–2010 को देखे व समझे बगैर उपके विपरीत आदेश पारित करने में वैधानिक भूल की है । जबकि अपर न्यायालय का आदेश अधीनस्थ न्यायालय पर बंधनकारी होता है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर न्यायालय के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय इन वैधानिक बिन्दुओं पर विचार किये बिना ही आदेश पारित किया गया है । अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रं0 17 / 2009–10 अपील में दिनांक 21–05–2010 में जो आदेश पारित किया था उसमें अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया था कि वह प्रकरण में समग्र रूप से विचार कर तथा रिकार्ड का अवलोकन कर विधिवत आदेश पारित करें किन्तु अधीनस्थ तहसील न्यायालय ने किसी अन्य प्रकरण में पारित सिविल न्यायालय के आदेश के तहत प्रकरण खारिज करने की भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय ने कथित जिस सिविल न्यायालय के स्थंगन आदेश का उल्लेख किया है अधीनस्थ न्यायालय ने उसको सही रूप से न तो पढ़ा है और न ही देखा है । उस सिविल न्यायालय के प्रकरण में आवेदकगण पक्षकार नही थे ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने उस प्रकरण का उल्लेख कर जो कार्यवाही समाप्त ही है वह विधि विधान एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है । विधान अनुसार जिस प्रकरण में व्यक्ति पक्षकार होता है वह आदेश उन पक्षकारों पर ही बंधकारी होता है । सिविल प्रकरण में आवेदकगण न तो पक्षकार रहें है न ही आवेदकगण को सिविल न्यायालय ने सुना है एवं न ही सिविल न्यायालय ने आवेदकगण के विरूद्ध कोई

स्थगंन आदेश दिया है फिर भी आवेदकगण का प्रकरण समाप्त कर दिया गया । राजस्व रिकार्ड में हुए इन्द्राज के संबंध में यह जांच नहीं किया है कि उक्त कार्यवाही किसी समक्ष अधिकारी के आदेश से की गई है या नहीं, इसकी जांच होना थी तथा आयुक्त ने भी इस बिन्दु के लिये भी प्रकरण रिमांड किया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कोई विचार ही नहीं किया और आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क में यह भी बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह उल्लेखित किया है कि अनावेदक द्वारा उक्त सर्वे नंबर के संबंध में वाद प्रस्तुत किया गया है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने यह नहीं देखा है कि वाद किन व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत किया है । आवेदकगण के विरूद्ध न तो वाद प्रस्तुत हुआ है और न ही सिविल न्यायालय ने आवेदकगण के विरूद्ध कोई स्थगंन दिया है । इस वैधानिक प्रश्न पर भी विचार किये बिना रिकार्ड के विपरीत जाकर आवेदन निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो प्रकरण की वस्तु स्थिति को देखा है और न ही समझा है एवं न ही अपर आयुक्त के आदेश को देखा व पढ़ा है। बिना किसी आधार पर अपर आयुक्त के आदेश को अनदेखा कर जो आदेध अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने किया है वह विधि विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार सुवासरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–11–2011 को निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदकगण प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहे, इसलिये अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ उभपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । तहसीलदार ने व्यवहार न्यायालय में जारी निषेधाज्ञा आदेश व्यवहार वाद क्रमांक 97–ए/10 आदेश दिनांक 28–4–11 के आधार पर उनके समक्ष लम्बित प्रकरण को नस्तीबद्ध किया है । उक्त आदेश की छायाप्रति जो कि विचारण न्यायालय के प्रकरण में संलग्न है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त व्यवहार वाद

में प्रतिप्रार्थी रामलाल, मांगीलाल, संतोषबाई तथा चतरबाई को कचरूलाल, मोहनलाल, राधुलाल एवं प्रभुलाल के आधिपत्य में दखल न देने के लिए प्रतिबन्धित किया है, जबकि इस प्रकरण के पक्षकार (इस न्यायालय के आवेदक) व्यवहार न्यायालय में पक्षकार नहीं थे अर्थात उक्त निषेधाज्ञा इन पर लागू नहीं होती । अतः आवेदकगण का यह तर्क स्वीकार योग्य है कि तहसीलदार ने उनके समक्ष कार्यवाही रोक कर गलती की है ।

6/ फलतः यह निगरानी स्वीकार की जाती है । तहसीलदार का आदेश दिनांक 14–11–2011 निरस्त किया जाता है । तहसीलदार को निर्देश दिये जाते है कि वह प्रकरण का नियमानुसार गुण–दोष पर निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर